न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष– बिरझू राम बगैरह ।
बनाम
द्वितीय पक्ष– अन्नपूर्णा देवी बगैरह।

वाद सं0 40/2021

आदेश की क्र0 सं0 एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
8/2/22	उक्त वाद की कार्रवाई थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं0 40/2021 दिनांक 05/06/2021 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है **प्रथम पक्ष** (1) बिरझू राम उम्र 70 वर्ष पिता स्व0 बंधना राम (2) मोदो देवी उम्र 35 वर्ष पिता बिरझू राम दोनो ग्राम कामडारा टंगराटोली थाना कामडारा जिला गुमला **बनाम द्वितीय पक्ष** (1) अन्नपूर्णा देवी उम्र 58 वर्ष पिता स्व0 मनबोध साहु (2) गीता देवी उम्र 32 वर्ष (3) निर्मला कुमारी उम्र 24 वर्ष (4) हीरो साहु उम्र 36 वर्ष तीनो पिता स्व0 मनबोध साहु सभी ग्राम+थाना कामडारा जिला गुमला के बीच खाता सं0 43 प्लॉट सं0 2854 रकबा 0.78 एकड़ भूमि को लेकर उभय पक्षो के बीच अशांति फैलने की सम्भावना को लेकर प्रतिवेदित किया गया है। तद्नुसार दं0प्र0सं0 की धारा 107 की कार्रवाई नियत तिथि एवं समय में कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं उभय पक्षो को कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया । उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :– वाद की कार्रवाई के दौरान उभय उक्षों द्वारा किसी प्रकार से शांति भंग करने संबंधी सूचना थाना प्रभारी कामडारा या अन्य स्रोत्रो से अप्राप्त है। उभय पक्षो के बीच उक्त वाद्गत की कार्यवाही अवधि में शांति भंग होने संबंधी सूचना अप्राप्त होने एवं उक्त वाद की समय अवधि समाप्त होने के कारण वाद की कार्यवाही बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित । अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)। (मुहर: अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)) Digitally signed by JAIWANTI DEOGAM Date: 2024.09.05 14:32:46 +05:30 Location: 192.168.1.2	